झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

राज्य मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2135 दिनांक–24.12.2018 द्वारा प्रकाशित झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिकी हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 एवं तदुपरान्त सम्प्रति प्रक्रियाधीन लोकसभा चुनाव, 2019 के आलोक में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के पत्रांक–2114 दिनांक–31.03.2019 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में दिनांक–01.04.2019 से राज्य में प्रथम बार e-lottery के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु प्रथम चरण में दिनांक–05.03.2019 को राज्य के संचालित किये जाने वाले कुल 1664 खुदरा उत्पाद दुकानों के विरूद्ध 1376 (84%) दुकानों की बन्दोबस्ती सफलतापूर्वक संपन्न की गई थी ।

इसी कम में कतिपय जिलों में शेष बचे खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए **आज दिनांक–14.05.2019 को, कुल 258 खुदरा उत्पाद दुकानों (65 देशी शराब, 95 विदेशी शराब एवं 98 कम्पोजिट शराब), को 169 समूहों में विभक्त करते हुए बन्दोबस्ती संपन्न करायी गयी । बन्दोबस्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिनमें से कुल 143 समूहों के अन्तर्गत 219 दुकानों (56 देशी शराब, 83 विदेशी शराब एवं 80 कम्पोजिट शराब) के लिए प्राप्त आवेदन के फलस्वरूप e-lottery द्वारा सभी 219 खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती सफलतापूर्वक संपन्न की गई । इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण के तहत वर्ष 2019–20 के लिए स्वीकृत कुल दुकानों की संख्या 1634 (संशोधित) के विरूद्ध अब तक कुल 1595 खुदरा उत्पाद दुकानों की सफलतापूर्वक बन्दोबस्ती की गई है जो कुल स्वीकृत दुकानों की संख्या का 97.6% है । खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त होने वाले वार्षिक राजस्व लक्ष्य 1558 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1522 करोड़ रूपये के राजस्व के समतुल्य दुकानों की बन्दोबस्ती की जा चुकी है जो कि खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त होने वाले राजस्व लक्ष्य का लगभग 97.70% है ।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुल राजस्व लक्ष्य 1000 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1082 करोड़ रूपये संग्रहित किये गये है जो कि निर्धारित लक्ष्य का 108% है ।